अनुदान संख्या 98 - वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
पूरक	*Supplementary*			*16,00,00*	*16,00,00*	*शून्य Nil*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4373,38,00				
				4373,40,00	2940,04,57	-1433,35,43
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1194,89,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			43,65,00	42,41,52	-1,23,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,17,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	7318.00			
			5179.00	5162.09	-16.91
पु.	R.	-2139.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	11263.00	..	..	..
पु.	R.	-11263.00			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्रामीण और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	163104.00	172805.00	171430.02	-1374.98
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	9700.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	255653.00	139867.00	117412.46	-22454.54
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-115787.00			

(I) ₹71264.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹70713.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "ग्राम एवं लघु उद्योग – हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1300.00 लाख;

(ख) "ग्रामीण एवं लघु उद्योग – रेशम उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹3863.00 लाख; और

(I) Provision of ₹71264.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹70713.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" - ₹1300.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - ₹3863.00 lakhs; and

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – जूट प्रौद्योगिकी मिशन – लघु मिशन–II" – ₹5550.00 लाख।

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Technology Mission on Jute - Mini Mission - II" - ₹5550.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों का किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र – समर्थन मूल्य के तहत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद" – ₹60000.00 लाख व्यय वित्त समिति/अनुमानित समिति के देयता प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries-Textiles - Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India Under Price Support" - ₹60000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-materialisation of Expenditure Finance Committee/Estimated Committee Liabilities proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वस्त्र मंत्रालय" के अंतर्गत ₹2155.91 लाख की बचत (₹7318.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित लागत साझा तंत्र की वजह से रिसोर्स सैट–3ए उपग्रह के भुगतान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Textiles" - saving of ₹2155.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7318.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment of Resource Sat-3A Satellite owing to revised cost share mechanism.

(III) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(का) "हस्तशिल्प उद्योग" –

(A) "Handicraft Industries" -

(क) "हस्तशिल्प विकास आयुक्त" – ₹1031.10 लाख की बचत (₹10100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे करने तथा स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) "Development Commissioner for Handicrafts" - saving of ₹1031.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(ख) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1266.34 लाख की बचत (₹17186.00 लाख के स्वीकृत

(b) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹1266.34 lakhs

प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/प्राप्त न होने तथा स्थापना संबंधी व्यय में कमी के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना"–

(क) "राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹546.71 लाख की बचत (₹7240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹2357.40 लाख की बचत (₹3995.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने, लाभार्थियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा योजना को सीएनए–मॉडल–2 से मॉडल–1(ए) में स्थानांतरित करने में देरी होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "वस्त्र आयुक्त" – ₹706.44 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹6100.40 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹3571.28 लाख की बचत (₹9867.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महाकुंभ आयोजन के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगने और श्रीनगर में भौगोलिक चुनौतियां की वजह से वाराणसी और श्रीनगर में परिसरों के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹17186.00 lakhs) was due to non-finalisation/non-receipt of proposals and less establishment expenses.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "National Handloom Development Programme"- saving of ₹546.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7240.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the beneficiaries.

(b) "National Handicraft Development Programme" - saving of ₹2357.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3995.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals, receipt of less proposals from beneficiaries, enforcement of the Model Code of Conduct and delay in migration of scheme from CNA-Model - 2 to Model -1(A).

(IV) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Textile Commissioner" - saving of ₹706.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6100.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in December, 2024) was due to requirement of less funds towards establishment related expenses.

(B) "National Institute of Fashion Technology" - saving of ₹3571.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9867.00 lakhs) was due to slow progress of construction of campuses at Varanasi and Srinagar owing to restricted movement of heavy vehicles during the Mahakumbh event and geographical challenges in Srinagar.

(गा) “वस्त्र अवसंरचना और मेगा समूह” – ₹8488.25 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, कम स्थापना व्यय तथा योजना को सीएनए मॉडल–2 से टीएसए हाइब्रिड मॉडल में स्थानांतरित करने के कारण हुई।

(C) “Textile Infrastructure and Mega Clusters" - saving of ₹8488.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals, less establishment expenses and migration of scheme from CNA Model-2 to TSA Hybrid Model.

(घा) “अनुसंधान एवं विकास तथा संस्थागत विकास” – ₹20947.69 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹49200.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएनए मॉडल–2 से टीएसए हाइब्रिड मॉडल में ऑन–बोर्डिंग के लिए पूर्व–आवश्यकताओं को पूरा करने में विलंब होने की वजह से अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए उपकरणों और मशीनरी की खरीद न होने, प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने/प्राप्त न होने और स्थापना संबंधी व्यय में कमी होने के कारण हुई।

(D) “Research and Development and Institutional Development" - saving of ₹20947.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹49200.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in December, 2024) was due to non-procurement of instruments and machinery for R&D project owing to delay in completing pre-requisites for on-boarding from CNA Model-2 to TSA Hybrid Model, non-finalisation/non-receipt of proposals and less establishment expenses.

(ङ.) “संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम” – ₹22024.73 लाख की बचत (₹63500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(E) “Amended Technology Upgradation Fund Scheme" - saving of ₹22024.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to non-materialisation of proposals.

(चा) “पीएम मित्र” – ₹27548.87 लाख की बचत (₹27550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/प्राप्त न होने तथा स्थापना संबंधी व्यय में कमी होने के कारण हुई।

(F) “PM MITRA" - saving of ₹27548.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27550.00 lakhs) was due to non-finalisation/non-receipt of proposals and less establishment expenses.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹986.55 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक किन्तु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक थी।

(V) Under three heads savings of ₹986.55 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 21 percent to 91 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹6517.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹6517.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakh in December, 2024 under the following major heads:-

(का) मुख्य "2851" – "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम" – ₹2445.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2441.07 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– अनुसंधान एवं विकास तथा संस्थागत विकास" – ₹2687.27 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2687.26 लाख था।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसंधान एवं विकास तथा संस्थागत विकास" – ₹1384.73 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1350.87 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2851" –

(क) "रेशम उद्योग – केंद्रीय रेशम बोर्ड" – ₹9119.00 लाख का अधिक व्यय (₹66837.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने, रेशम ट्विस्टिंग इकाइयों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण के संचालन और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹2500.00 लाख का अधिक व्यय (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552"

(A) Major Head "2851" - "Tribal Area Sub-Plan - National Handloom Development Programme" - ₹2445.00 lakhs. Actual excess, however was ₹2441.07 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Research and Development and Institutional Development" - ₹2687.27 lakhs. Actual excess, however, was ₹2687.26 lakhs.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Research and Development and Institutional Development" - ₹1384.73 lakhs. Actual excess, however, was ₹1350.87 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" -

(a) "Sericulture Industries - Central Silk Board"- excess of ₹9119.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66837.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, conduction of capacity building /training of silk twisting units and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Grants towards Development of Silk Industry" - excess of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on

से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – अन्य – पटसन" – ₹1134.51 लाख का अधिक व्यय (₹9540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Others - Jute" - excess of ₹1134.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9540.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards meeting the committed liabilities of Standing Finance Committee approved schemes.